न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.116/2019 दिनांक–26.12.19

सरकार बनाम हवासिंह वगै0
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिमनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम कायमपुरा बास तहसील कोटपूतली के ख0 न038/1.16है0 किस्म गै0मु0 भूमि मेंसे क्रमशः 0.25पर हवासिंह , मुकेश पुत्र मक्खन लाल जाति मीणा निवासी कायमपुराबास तहसील कोटपूतली ने पुख्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा बार– बार अवसर दिया जाने पर भी जबाब पेश नहीं किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायलान हवासिंह , मुकेश पुत्र मक्खन जाति मीणा निवासी कायमपुराबास तहसील कोटपूतली ने वाके ग्राम कायमपुरा बास के खसरा नंबर 38/1.16 है 0किस्म जमीन गै0मु0 भूमि मेंसे 0.25है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायलान हवासिंह, मुकेश पुत्र मक्खन जाति मीणा निवासी कायमपुराबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम कायमपुरा बास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 38/1.16है0 ,किस्म गै0मु0 मे से 0.25है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बनाये गये मकानों को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी8.0रू. का पचास गुणा 400रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्त बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग

कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 26.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।